

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (गुप-5) विभाग
क्रमांक:-प.2(4)शि-5 / 2007 पार्ट III / दिनांक:- 03.01.2012

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर,
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर,
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

विषय:- राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत राजकीय सेवा में नियुक्त कार्मिकों के सी.पी.एफ. भुगतान के संबंध में ।

प्रसंग :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक सितम्बर, 16, 2011

महोदय,

विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र की निरन्तरता में आंशिक संशोधन करते हुए लेख है कि वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 10113201 दिनांक 16.09.11 के स्थान पर वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101103201 दिनांक 16.09.11 पढा जावें । शेष विन्दु यथावत है ।

भवदीय

ह0 /


शासन उप सचिव

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.24()लेखा/अनु/आकाशि/11-12/ 25


दिनांक:- 20-1-12

सचिव, प्रबन्ध समिति, समस्त अनुदानित महाविद्यालय, राजस्थान, को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।


संयुक्त निदेशक (अनु)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

प्रतिलिपि

श्री धीरेन्द्र देवर्षि, वेब साइट प्रभारी


संयुक्त-निदेशक (अनुदान)
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा
राजस्थान, जयपुर